

# बिहार के जन आंदोलन में गांधीजी की भूमिका

डॉ.राज कुमार मंडल  
इतिहास विभाग  
ललित नारायण विष्वविद्यालय,  
दरभंगा

## भूमिका

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जन आंदोलन कोई आकारिक घटना नहीं अपितु कई घटितयों और कारणों का परिणाम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का आर्थिक षोषण तथा रंगभेद की नीति ने भारतीयों के मन में स्वाभिमान और अंग्रेज के प्रति धृणा को जन्म दिया। समाचार पत्रों ने स्वदेश प्रेम का प्रचार कर राष्ट्रीयता के रंग को चमका दिया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से अंधविष्वास, कूपमंडूता को दूर कर तथा विक्षित वर्ग के लोगों को विचार विनियमय का माध्यम प्रदान कर दूसरे के सम्पर्क में ला दिया। भारत में जन आंदोलन को जागृत करने में धर्म एवं समाज सुधारकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से भारतीयों ने आत्म निर्भरता, स्वाभिमान पुरातन संस्कृति के प्रति प्रेम तथा उसकी रक्षा के लिए जागृत किया।

### ब्रह्म कुंजी:- बिहार, जन-आंदोलन, गांधीजी, भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वास्तविक जन-आंदोलन का रूप देने में गांधीजी की निर्णायक भूमिका रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक चरण (1919–1947) गांधीवादी राजनीति तथा सत्याग्रह, स्वदेशी, बहिष्कार, वर्ग-सहयोग, अहिंसक व नियंत्रित व्यापक जनांदोलन पर ही आधारित था और इस चरण में बिहार राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। फलतः बिहार में जन आंदोलन पर गांधीजी का स्पष्ट प्रभाव रहा।

गांधीजी ने क्षेत्रीय राजनीति के सहारे अखिल भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। क्षेत्रीय राजनीति के दौर में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग बिहार के चंपारण से ही प्रारंभ हुआ। यहां के किसानों ने गांधीजी के सफल नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन द्वारा निलहे गोरों के षोषण व अत्याचार से मुक्ति पाई। इसके बाद रॉलेक्ट ऐक्ट के विरुद्ध जन आंदोलन बिहार में फरवरी, 1919 के अंतिम दिनों में आरंभ हुआ। मार्च में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, समस्तीपुर और भागलपुर आदि जगहों पर विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुईं। इन सभाओं में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। 'सर्चलाइट' में रॉलेक्ट ऐक्ट की जोरदार आलोचना की गई एवं राष्ट्रीय भावना के प्रचार-प्रसार में इस अखबार के अधिकाधिक प्रभाव का युग आरंभ हुआ—1।

गांधीजी के आदेशानुसार 6 से 13 अप्रैल को देश भर में पंजाब में अत्याचारों के विरोध में एवं जालियाँवाला बाग मेमोरियल फंड के लिए चन्दा एकत्र करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। पटना में 24 से 25 अप्रैल 1920 में सभाएँ हुईं। उनमें मौलाना षौकत अली ने खिलाफत जन आंदोलन का समाधान करने हेतु विषेष परिस्थिति में नौकरियों का बहिष्कार एवं सरकार साथ असहयोगकरने को कहा—2। असहयोग आंदोलन का बिहार में काफी प्रभाव रहा। गांधीजी की बिहार में दिसंबर 1920 में यात्रा यधपि अल्पकालिक थी, फिर भी उससे असहयोग आंदोलन को बहुत बल मिला। परिणामस्वरूप संपूर्ण प्रांत में जन आंदोलन का ज्वार फैल गया। गांधीजी जहाँ-जहाँ जाते चंदा एकत्र किया जाता। इस प्रकार लगभग 7000 रु. नगद मिले। महिलाओं ने अपने आभूषण दिए इनमें जड़ों, कंगन और अंगूठियाँ थीं। गांधीजी की भागलपुर यात्रा के परिणाम स्वरूप 'भागलपुर एवं संथाल परगना जिले में षराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ—3। इन आंदोलनों के दौरान गांधीवादी रणनीति पर आधारित कार्यकर्ताओं को पूरा किया गया। 1920 में गांधीजी की बिहार में विदेशी वस्तुओं, विक्षण संस्थानों, कार्यालयों, समारोहों का बहिष्कार किया गया। अनेक स्वदेशी विद्यालय, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार विद्ययापीठ, देवघर विद्ययापीठ की स्थापना की गई।

12 मार्च, 1930 को गांधीजी ने दांडी यात्रा आरंभ की और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया। बिहार में भी नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। इस सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, षाहाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर आदि क्षेत्रों में भी हुआ। सरकारी दमन चक्र ने कठोर रूप धारण किया और लगभग 13000 लोग कैद कर लिये गए। 4 मई 1930 को गांधीजी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में जन आंदोलन हुए और 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कमिटी ने विदेशी वस्त्रों और षराब की दूकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा।

इस आंदोलन के कम में बिहार में 'चौकीदारी कर' बंद करने के लिए भी जन आंदोलन हुआ। चौकीदारी कर की वसूली के कम में हो रहे अत्याचार से लोगों में असंतोष था। दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चम्पारण, बहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों में भी चौकीदारी कर देना बंद कर दिया-4। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, सारण, मुंगेर, आदि मिथिला के सभी जिलों में देष के अन्य स्थानों की भाँति सरकार को सूचना देकर नमक सबंधी कानून को भंग करना तथा नमक बनाना कांग्रेस स्वयंसेवकों में आरंभ किया। सत्याग्रही स्वयंसेवकों का भयभीत कर उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने दमन चक्र चालू किया। कई स्थानों पर लाठियाँ चली। स्वयंसेवक आहत हुए। पर उनके उत्साह में कमी न आई, सत्याग्रहियों के एक दल के पकड़े जाने पर दूसरे दल उसके स्थान पर कानून को अवहेलना कर नमक बनाने हेतु उपरिथित होते थे। इस प्रकार समस्तीपुर सहित लगभग बिहार के सभी जिलों के कारागृह देष भक्त स्वयंसेवकों से भर गए।

बिहार के स्वयंसेवकों के प्रषिक्षण हेतु भागलपुर जिले के बीहुपुर में स्वयं सेवक प्रषिक्षण षिविर खोला गया था। वहां उनके रहने के हेतु भवन प्रस्तुत किये गये थे। स्वयंसेवकों को वहां कवायद एवं लाठी चलाना सिखाया जाता था। कार्यक्रम का आरम्भ वहां खंखधनी से होता था। आरक्षियों के द्वारा वहां के कांग्रेस कार्यालय तथा स्वयं सेवक षिविर पर सरकार ने अधिकार कर लिया। षिविर को तोड़ डाला गया। उसके विरोध में जनता की भरी भीड़ वहां एकत्रित हो गयी, पर महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित नियमानुसार उपरिथित जनता क्षुब्ध हृदय होते हुए भी षांत रही। इस असंतोष की लहर के कारण और थाने के 250 चौकिदार में से लगभग 130 चौकिदार ने त्याग पत्र देकर अलग हो गए। विधानमंडल के 5 नव निर्वाचित सदस्य सरकार की उक्त अनैतिक कार्यवाही के प्रतिरोध में त्याग पत्र अर्पित कर सदस्यता से अलग हो गये। बीहुपुर के दमन की कथा श्रवण कर मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, चम्पारण आदि जिलों में जन आंदोलन फैल गई, और कांग्रेस के आंदोलन में अधिक उत्साह से योगदान दिया-5।

समस्तीपुर जिला में नमक सत्याग्रह का श्रीगणेष अत्यंत ही जोष और उत्साह के साथ हुआ। जिला कांग्रेस कमिटी के बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को 13 आदमियों का एक जत्था के साथ प्रस्थान किया इस जत्था को विदा करने के लिए प्रस्तुत थे। जत्था 11 अगस्त को समस्तीपुर में प्रवेष किया।

गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुआयामी रूप दिया था और समग्र हुक्मित ही उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने न केवल राजीतिक आंदोलन बल्कि आर्थिक स्वावलंबन, अस्पृष्टता उन्मूलन, साम्प्रदायिक सदभाव आदि पर भी जोर दिया। 1925 एवं 1927 ई. में गांधीजी की बिहार यात्राओं के दौरान खादी एवं चरखे का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं स्वदेशी ऐक्षणिक संस्थाओं के विकास से जुड़े कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए गए। उनकी बिहार यात्राओं ने यहां जन-जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीजी के विचार और व्यक्तित्व से सभी वर्गों के लोग काफी प्रभावित हुए और वे देषोद्धार के प्रयास में गांधीजी के साथ जुट गए-6।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी गांधीजी कार्यक्रमों को बिहार में पूरा किया गया। गांधीजी के सत्याग्रह और अहिंसा का बिहार के लोगों ने उत्साहपूर्वक पालन किया। स्वयं गांधीजी ने कहा था कि बिहार की जनता ने आंदोलन के दौरान सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांत का जिस प्रकार पालन किया, वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। बिहार के जन आंदोलन पर गांधीजी के प्रभाव का व्यापकता एवं गहराई का तथ्य इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जनजातियों के मध्य भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। ताना भगत आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें सत्याग्रह पद्धति को अपनाया गया था। 1934 में गांधीजी ने बिहार के भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। इसी समय उनके आहवान पर अस्पृष्टता उन्मूलन एवं मंदिर प्रवेष पर निम्न जातियों के लिए लगे प्रतिबंध को खत्म करने का अभियान बिहार में जारी रहा। सदियों से मंदिर के जो दरवाजे निम्न जातियों के लिए बंद पड़े थे, वे खोल दिए गए। बिहार की दलित षोषित जातियों में गांधीजी कि प्रति श्रद्धा भाव और भी बढ़ गया।

बिहार के जनमत पर गांधीजी के प्रभाव के कारण ही अंग्रेजी राज में बिहार में होने वाले चुनावों में कांग्रेस विजयी होती रही। 1937 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में गांधीवादी आदर्शों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएँ घटी जिसका प्रभाव खास कर बिहार में अन्य क्षेत्र के मुकाबले समस्तीपुर जिला में व्यापक रूप में देखने को मिला। समस्तीपुर में जो संकल्प और उत्साह दृष्टिगोचर हुआ वह भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में स्वर्णक्षम में अंकित करने योग्य है। वस्तुतः समस्तीपुर में यह जोष पटना सचिवालय हत्याकांड के पश्चात चरम सीमा पर पहुँच गया था। पटना में दिनांक 11 अगस्त के अपराह्न में जनता की अपार भीड़ एकत्रित होकर सरकारी सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के हेतु अग्रसर हुई। सबसे आगे विद्यार्थियों का झुंड पंक्तिबद्ध होकर चल रहा था। भीड़ सचिवालय के सामने पहुँच गयी। पटना के अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने उन निहत्थों पर गोलिया की बौछार करने की आज्ञा दी। वहीं 13 अथवा 14 राउन्ड गोलियां चली जिससे 7 विद्यार्थियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी, लगभग 25 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए और अनेक को साधारण चोट लगी।

अल्प वयस्क विद्यार्थियों के उपर्युक्त बलिदान के समाचार ने सम्पूर्ण बिहार प्रदेश के युवकों के हृदय में विदेषी धासन के प्रति प्रतिषेध की आग प्रज्वलित कर दी। विद्यार्थियों के अतिरिक्त साधारण जनता भी बौखला उठी और उनकी सहानुभूति एवं सहयोग छात्र समुदाय को सभी स्थानों पर मिलने लगा। जिन लोगों के विदेषीष्वासन से सहायता मिलती थी उनके प्रति भी यद—कदा आंदोलनकारियों का कड़ा रुख दृष्टिगत हुआ। धासन की विधिल बना देने के विचार से उन लोगों ने रेल की पटरियों उखाड़ दी टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार काट डाले, आरक्षियों के थाने पर आक्रमण, और कहीं—कहीं उसमे आग लगा दी तथा डाकघरों और अन्य सरकारी भवनों एवं कार्यालयों पर अधिकार कर दिया। कई स्थानों पर धासन यंत्र के संचालकों के साथ उनका संघर्ष, जहां आंदोलनकरियों ने उन्हें नीचा दिखाया। कांग्रेस अथवा उसके नेताओं के कार्यक्रम में उपर्युक्त प्रकार की कार्यवाही का समावेष नहीं था। लगभग सभी नेता बन्दीगृह में बंद कर दिये गए थे। बाहर कोई जनता का पथ प्रदर्शक नहीं था। सरकार के दमन कार्य से उत्तेजित जनता के मन में जैसा आया, वह वैसा करने लग गयी। देखा—देखी उस प्रकार की कार्यवाई सभी स्थानों में होने लगी।

दरअसल सब को विष्वास हो गया कि अंग्रेजी सरकार अपने पजे से राजी खुषी हिन्दुस्तान को निकलने न देगी। वह किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्यवादी षिकंजों को ढ़िला न करेगी, अपने भेद नीति न छोड़ेगी, हम हिन्दुस्तान को एक न होने देंगे—7।

दरभंगा, मधुबनी और समस्तीमुर में सन 1942 की जन आंदोलन इतना सफल रहा कि अगस्त के अंत में सरकार ने यहां के नेताओं और उनके सहयोगियों को अनेक प्रकार से तंग करना आरंभ कर दिया। फुलपरास, लौकहा—लौकही, खजौली ताजपुर, पूसा, दलसिंगसराय, रोसड़ा आदि थानों के लोगों पर असहनीय अत्याचार किये गये। लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, स्त्रियों के जेवर उतार लिए गये, कितनों को जेलों में बंद कर दिया गया। सिसवर निवासी तेजनारायण मिश्र को वहाँ गोली लगी और करुणा पुल के पास विधानन्द भारती षहीद हो गये। ज्ञातव्य है कि इस पुल को अगस्त कांति के समय ध्वस्त किया गया था—8।

मधुबनी और उसके आस पास के गांव में भी गोलिया चलायी गयी। सरिसव पाही के हरेमिश्र, षांतिनाथ झा, चेतनाथ एवं कुछ अन्यों के घर जला दिये गये। सेलिसवरी ने कलुआही चौक से दक्षिण हरिपुर ग्राम के डीहटोल में भी गोलिया चलायी। इसमें कई लोगों की जान गयी और अनेक लोग हताहत हुए।

दो सुकुमार बच्चों ने सैलिसवरी के अत्याचार को चुनौती देकर स्वतंत्रता और मानवता का जयघोष किया। ये दोनों बच्चे हरिपुर के थे और इनके नाम क्रमशः षिव और नारायण थे। इनकी उम्र दस से बारह वर्ष की थी। ये दोनों बच्चे सड़क पर पुल के किनारे खड़े थे, पुलिस गाड़ी लेकर वहाँ पहुंच चुकी थी, बच्चों ने पुलिस को देखकर भय बिल्कुल ही प्रकट नहीं किया। पुलिस ने डॉट बतायी “क्या कर रहे हों”। उसी बात पर उसे गोली मार दी गयी। अपने साथी की स्थिति को देखकर नारायण ने जार से आवाज लगायी—“इन्कलाव जिन्दाबाद”। इस पर उसे भी गोली मार दी गयी। परंतु क्या क्रोधानल से जलते हुए भारतीयों का मुँह स्वतंत्रता की ओर से मोड़ा जा सकता था? श्री लोकनाथ हाई स्कूल, कलुआही के आगे अस्सित षिव नारायण क्लब आज भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले बच्चों की स्मृति दिला रहा है। अगस्त में मधुबनी षहर में सैनिकों ने गोली चलाई थी और इसके एक दिन पूर्व बहेड़ा कांग्रेस आरंभ में आग लगायी गयी थी। 26 अगस्त को देवधा और दीप में भी गोली चलायी गयी और उसी दिन खजौली में हजारी लाल गुप्त एवं उनके साथियों को मार पड़ी थी। मधुबनी और जयनगर के बीच 23 अगस्त को लोगों के घर जला दिये गये थे। इसी दिन खजौली में जयनन्दन सिंह और नेवी ठाकुर षहीद हुए थे। सैनिकों ने इन पर गोलियां चलायी थी। इतना होने पर भी मधुबनी अनुमंडल के थाना, खजौली, बेनीपट्टी, हरलाखी, लदनियं, जाले, बिरौल, फुलपरास, मधेपुर, झंझारपुर बहेड़ा, सिंधिया आदि पर जनता का अधिकारी बना रहा। लौकही थाना पर तो बहुत समय तक स्थानीय लोगों का आधिपत्य रहा। सैनिक भी वहां जाने से घबराते थे।

मधुबनी थाना को युवकों ने अपने अधीन रखने का प्रयास किया था। पुलिस द्वारा हस्ताक्षेप करने पर 17 सितम्बर को लोगों ने दारोगा पर प्रहार किया था, दारोगा ने गोली चलायी थी, पर लोगों ने उसकी कुछ परवाह नहीं की। बहेड़ा थाना में भी आंदोलन का रूप बड़ा भयंकर था। वहीं के लोग अपने क्षेत्र में पुलिस को आने ही नहीं देते थे। 2 सितम्बर को उस थाने के गलवा ग्राम में गोली चली पर इस प्रकार के दमन के बावजूद तत्कालीन दरभंगा वर्तमान समस्तीपुर जिला कांति का केन्द्र बना रहा। 5 सितम्बर को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को दरभंगा के जिलाधिकारी ने सूचना दी थी कि इस जिले की स्थिति अत्यंत गंभीर है और उसे बांत करना बहुत आसान नहीं है। उन्होंने राट्रीय झंडा फहराने का कार्यालयों पर आक्रमण करने आदि की भी चर्चा की थी—9।

पूर्णिया जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इतने संगठित रूप में आंदोलन चला था कि सरकारी अधिकारी दमनात्मक कार्वाइयों के बावजूद उग्र भीड़ पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहे थे। रुपोली, टिकापट्टी, कटिहार, फारबिसगंज, कसबा आदि स्थानों में तोड़—फोड़ के काम 19 अगस्त को ही आरंभ हो चुके थे। कई डाकघरों को जलाया जा चुका था। रेलवे स्टेशनों की भी क्षति पहुंचायी गयी थी। कहीं—कहीं थाने पर भी आक्रमण किया था। बरारी थाना

पर पथराव हुआ था और उसके कागजों को जला दिया गया था। 17 अगस्त को चोपड़ थाना को ध्यस्त करने का प्रयास हुआ था।

20 से 25 अगस्त के बीच पूर्णिया, फारविसगंज, कसबा, कुरसेला, मनसही, सुनही आदि स्थानों में व्यापक स्तर पर तोड़-फोड़ हुए। अधिकांश रेलवे स्टेशनों में आग लगायी गयी, कहीं-कहीं पटरियां उखड़ दी गयी और पुलों को भी तोड़ा गया।

मुंगेर में 16 अगस्त से आंदोलन की गति में तेजी आयी। 17 से 20 अगस्त के बीच अनेक स्थलों पर तोड़-फोड़ किये गये। यद्यपि 144 धारा के अंतर्गत लोगों को अधिक संख्या में निकलने से रोका गया, पर उसकी उपेक्षा कर खड़गपुर, बेगुसराय, बछवारा, सिमरियाघाट, तेघरा, रूपनगर आदि स्थानों में रेलवे स्टेशनों को जलाने, सड़क को काटने, डाकघरों को जलाने एवं राष्ट्रीय झंडा फहराने के काम होते रहे। बेगुसराय में कर्फ्यु लगाने पर भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राष्ट्रकर्मी गिरफ्तार होते रहे, पर उनका जुलूस निकलता रहा—10।

इस प्रकार बिहार में जन आंदोलन पर महात्मा गांधीजी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार के जन मानस ने गांधीजी के आदर्शों के अपने हृदय में सहेज कर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर उसका उसका प्रयोग किया।

### संदर्भ सूचि:-

1. डॉ. के. के. दत्त, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, 2014, पृ.—312
2. वही, पृ.—320
3. वही, पृ.—329
4. इमत्याज अहमद, बिहार: एक परिचय, 2016, पृ.—56
5. डॉ.रवीन्द्र प्रसाद, त्यागवीर स्वतंत्रता सेनानी, प्रभात प्रकाषन पटना, 2015, पृ.—40—41
6. पंडित दीनानाथ मिश्र, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी : व्यक्तित्व एवं कृतित्व पटना, 2008, पृ.—122—124
7. वही, पृ.—106—109
8. रत्नेश प्रसाद सिंह, बलिपंथी, जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ, समस्तीपुर, 1976, पृ.—3
9. बलदेव नारायण , अगस्त कांति, पृ.—45
10. वही, पृ.—58